ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति राज कुमारी	23.1.2011 से 22.1.2016
2.	श्री विजय कुमार	22.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति वन्दना देवी	21.5.2011 से 25.4.2013
2.	श्री संजीव कुमार	25.4.2013 से 23.2.2015
3.	श्रीमति सुमना देवी	23.2.2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5.2	खाता "ख" के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.22
2.	8	अनुदान राशियों का अवरोधन	18.50
3.	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करना	0.37
4.	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	0.43

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 28.5.2016 से 4.6.2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सहौडा में किया गया आय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/14, 1/15 व 3/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 1/14, 12/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹6000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 85/2016, दिनांक 4.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत सहौडा से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत सहौडा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	158557	82238	240795	76449	164346
2014–15	164346	6673	171019	40733	130286
2015–16	130286	26520	156806	26483	130323

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत सहौडा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	943220	2779595	3722815	2776479	946336
2014–15	946336	2860458	3806794	2828621	978173
2015–16	978173	3505644	4483817	2633558	1850259
			स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग =		₹1980582

31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCC KANGRA	2033022777	Sabha. Fund. 3rd state	960143
2.	KCC KANGRA	50055699772	VKVNY	289
3.	KCC KANGRA	50055699841	13th & 14th F.C	986233
4.	BANK OF MAHARASTRA	60178584462	ZP	31038
5.	-do-	60144779834	RGAY/IAY	2352
6.	-do-	60152404606	MANREGA	490
			बैंक में कुल जमा राशि	₹1980545

अन्तशेष का विवरण :–

(क)	दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2) :–	₹1980582
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹1980545
(ग)	हस्तगत राशि	₹37

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही

रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध छः बैंक बचत खातों का खोला जाना :–

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधानों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन चार अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹0.22 लाख के ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना :–

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे, जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना से खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं0	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	8/13	2/14	8/14	2/15	8/15	2/16	
50055699772	242	119	201	74	05	05	646
50055699841	–	–	2769	4866	2974	2843	13452
60178584462	–	–	589	680	601	320	2190
60144779834	770	501	270	643	144	24	2352

20146006122	454	1044	11	—	—	—	1509
60125407606	1119	438	09	09	09	05	1589
कुल जोड़	**2585**	**2102**	**3849**	**6272**	**3733**	**3197**	**₹21738**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstrael) को तैयार न करने बारे :–

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व से सम्बन्धित अभिलेख को उपलब्ध न करवाने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्व स्त्रोत जैसे गृहकर, जल प्रभार, भवनों/दुकानों से किराया, मोबाइल टावर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में पंचायत राजस्व के बकाया, कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना : 83, दिनांक 3.6.2016 द्वारा

सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. अनुदान ₹18.50 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹18.50 लाख उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 82, दिनांक 3.6. 2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–2 के अनुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–'3' में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹0.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 84, दिनांक 3.6.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. क्रय की गई ₹0.43 लाख सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में ईन्द्राज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72(1)(ए0बी0सी0 व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म–25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना है, परन्तु पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–4 पर ₹0.43 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 84, दिनांक 3.6.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि उक्त निमयों के अनुसार न होने के कारण अनियमित था। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ वही व पास बुकों के अतिरिक्त कोई भी रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक व गम्भीर मामला है। वर्तमान सचिव द्वारा भी इस हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऑडिट के दौरान स्व. स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति को तैयार करने में उक्त के अभाव में अधिक समय व्यय करना पड़ा। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 83, दिनांक 3.6.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा

द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	सन्दर्भित नियम	फार्म सं0
1.	गृह कर वसूली व बकाया रजिस्टर	33 व 77(4)	10
2.	मोबाइल टावर रजिस्टर	–	–
3.	चल–अचल सम्पति रजिस्टर	–	–
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	95(1)	31
5.	डाक टिकट रजिस्टर	61(2)	24
6.	निवेश रजिस्टर	12(1)	1
7.	चैक रजिस्टर	–	–
8.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	30	9
9.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	–	–
10.	रसीद बुक रजिस्टर	–	–
11.	रोकड़ वही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	15(1)	–
12.	प्राक्कलन, तकनीकी मंजूरी तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर	95(1)	31
13.	अनुदानों के लेजर खाते	29(1)	7

13. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. विविध अनियमितताएं :–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कर्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए0)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की है।

16. **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(ii)6/2016, खण्ड–1–5090–5093 दिनांकः22.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा हि0 प्र0

पंजीकृत

4. सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.